

अस्थायी प्रवासी श्रमिकों के शोषण की समीक्षा

टेम्पोरेरी माइग्रेट वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन रिव्यू अथवा अस्थायी प्रवासी श्रमिकों के शोषण की समीक्षा (समीक्षा) का कुल मिलाकर लक्ष्य अस्थायी प्रवासी श्रमिकों के शोषण को कम करना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्र भी शामिल हैं। समीक्षा से उत्पन्न होने वाला महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि न्यूज़ीलैंड में सभी लोग सुरक्षित और संतोषप्रद काम में लीन हो सकते हैं, और सभी व्यवसाय समान अवसर मिलने से विश्वास के साथ काम कर सकेंगे।

माइग्रेट (प्रवासियों) के शोषण का इन सब पर गहरा नकारात्मक परिणाम होता है ...

प्रवासी

शोषित प्रवासी श्रमिक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक नुकसान से पीड़ित होते हैं। यह नुकसान न्यूज़ीलैंड के भीतर और उनके मूल देश में उनके परिवारों तक फैला हुआ है।

व्यापार (कारोबार)

शोषण करने वाले नियोक्ता दामों को कम करके नियोमों का पालन करने वाले नियोक्ता जो नष्टिपक्ष और उत्पादक रोजगार संबंधों को बढ़ावा देते हैं उनसे अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। यह व्यवसाय को अस्थायी बना सकता है।

न्यूज़ीलैंड नवासी

शोषण उन अपराधों को सुविधा देता है जो व्यापक समुदाय को प्रभावित करते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाना)। शोषण से टैक्स और हैल्थकेयर सिस्टम (स्वास्थ्य सेवा प्रणाली) पर भी दबाव पड़ता है।

हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा

प्रवासी शोषण से हमारी भ्रष्टाचार-मुक्त, काम करने और नवास के लिए एक सुरक्षित जगह जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।



प्रस्तावित समाधान

रोकथाम करना (प्रविन्ट)

कार्यस्थल (और अन्य) स्थितियों की घटनाएं जो अस्थायी प्रवासी श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा दे सकती हैं।

प्रस्ताव एक

रोजगार मानकों को भंग करने वाले नियोक्ता पर महत्वपूर्ण न्यंत्रण या प्रभाव डालने वाली पार्टियों पर ज़िम्मेदारियों को लागू किया जाए।

प्रस्ताव दो

वर्तमान में प्रस्तावित नियोक्ता-सहायता प्राप्त वीजा गेटवे सिस्टम के तहत कुछ विशेष

उप-ठेकेदारों और फ्रैन्चाइज़ी के लिए अतिरिक्त मानदंडों को पूरा करने को ज़रूरी बनाना।

प्रस्ताव तीन

श्रमिकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने वाली एक लेबर हायरिंग लाइसेंसिंग स्कीम (श्रमिकों को मजदूरी पर लगाने की लाइसेंस योजना) की शुरुआत करना।

प्रस्ताव चार

इमीग्रेशन एक्ट (आप्रवासन अधिनियम) के तहत शोषण का दोषी ठहराए गए व्यक्तियों द्वारा कम्पनी के प्रबंधन या नरिदेशन पर रोक लगाना।

सुरक्षा करना (प्रोटैक्ट)

न्यूज़ीलैंड में अस्थायी प्रवासी श्रमिकों को और उन्हें शोषणकारी रोजगार छोड़ने में सक्षम बनाना।

प्रस्ताव पाँच

एक MBIE समर्पित प्रवासी शोषण 0800 फोन लाइन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग (सूचना) सेवा स्थापित की जाए, तथा एक MBIE विशेषज्ञ प्रवासी श्रमिक शोषण-केन्द्रित रिपोर्टिंग (सूचना देने) और ट्रायजिंग (आपातकाल में कार्यवाही को प्राथमिकता देने) को स्थापित किया जाए।

प्रस्ताव छह विकल्प ए

शोषित प्रवासी श्रमिकों के लिए एक bridging-type (तात्कालिक प्रकार के) वीजा का विकास किया जाए।

प्रस्ताव छह विकल्प ए

वर्तमान INZ वीजा स्टेटस (स्थिति) पर विचार की प्रक्रिया में सुधार किया जाए।

लागू करना (इन्फोर्स)

इमीग्रेशन और रोजगार कानून को जिसका उद्देश्य है एक फिट-फॉर-परपज़ (प्रयोजन के लिए उपयुक्त) अपराध और दंड शासन के माध्यम से नियोक्ताओं के अपालन को रोकना।

प्रस्ताव सात

शोषण और अरक्षिता की भावना को योगदान देने वाले विरोधी नियोक्ता व्यवहार के लिए एक नए इमीग्रेशन उल्लंघन अपराध की स्थापना करना।

प्रस्ताव आठ

लेबर इंस्पेक्टर (श्रम निरीक्षणालय) को उन नियोक्ताओं को उल्लंघन नोटिस जारी करने की अनुमति दे जो एक उचित समय सीमा के भीतर अनुरोध किए गए दस्तावेज़ प्रदान नहीं करते।

प्रस्ताव नौ

मौजूदा इमीग्रेशन अपराधों को इकट्ठा करने और भविष्य में, नियोक्ता गैर-अनुपालन के इमीग्रेशन उल्लंघन अपराधों की प्रतिबन्धित सूची का विस्तार करना।

प्रस्ताव दस

नियोक्ता-सहायता प्राप्त उन कर्मचारियों को सूचित करना जो उस नियोक्ता के लिए काम करते हैं जिसे प्रतिबन्धित किया जा चुका है।



MINISTRY OF BUSINESS,
INNOVATION & EMPLOYMENT
HĪKINA WHAKATUTUKI

New Zealand Government

अस्थायी प्रवासी कर्मचारियों के शोषण को कम करने के लिए सरकार, अपने प्रस्तावों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती है। अपने विचार व्यक्त करने के लिए mbie.govt.nz/exploitationreview वेबसाइट पर जाएं